न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 105/2018

RCMS Case No. 2018/00129

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार रानी		1. टीकमराम पुत्र पूनाराम 2. सूराराम पुत्र भूदरराम जातिगण सिरवी निवासीगण कीरवा तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक 24/05/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार बाली द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चांगवा तहसील रानी के खसरा नम्बर 119 रकबा 4.01 बीघा हैक्टेयर किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 48 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका गै0मु0 नदी का आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम चांगवा पटवार मण्डल कीरवा के नामान्तरकरण संख्या 48 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि तहसीलदार पाली अप्रार्थी के हक में सम्पूर्ण प्रकिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रूपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उस पर कृषि कार्य के उपयोग में ले रहा है। तहसीलदार रानी ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम चांगवा तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 119 रकबा 4.01 बीघा किस्म गै0मु0 वाला की भूमि अप्रार्थीगण की खतोदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 वाला है। उक्त भूमि तहसीलदार पाली द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 48 के जरिये अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 वाला थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. वाला दर्ज की जानी हैं। अतः तहसीलदार पाली द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार पाली के आदेश क्रमांक/216 दिनांक 15.04.1965 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम चांगवा तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 48 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)

अति.जिला कलेक्टर,पाली